AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF: 1.048(I2OR) & 3.125 (IIFS)
Vol (3), Issue (1), January-March 2026 ISSN: 3048-7951

विशिष्ट बालकः विशिष्ट शिक्षा

डॉ0 रूचि मिश्रा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, पंडित जवाहर लाल नहेरू, महाविद्यालय बांदा (उ0प्र0)

DOI: https://doi.org:/10.5281/zenodo.19333134

Review: 04/02/2026 Acceptance: 04/02/2026 Publication:26/03/2026

विशिष्ट का अर्थ–

विशिष्ट शिक्षा का अर्थ प्रायः उस शिक्षा से लिया जाता है जो सामान्य स्कूलों में तथा सामान्य कक्षाओं में नहीं दी जाती बल्कि विशेष अथवा विशिष्ट स्कूलों में दी जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते है जिनकी आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से भिन्न होती है उनके सर्वांगीण विकास के लिए विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। अतः उनके लिए विशेष कक्षाओं अथवा विशेष स्कूलों का प्रावधान किया जाता

विशिष्ट बालक का अर्थ–

"अमेरिकन शिक्षा अध्ययन राष्ट्रीय परिषद के अनुसार, "विशिष्ट बालक वे हैं जो कि सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक अलग (deviate) होते है कि अपनी उच्चतम योग्यता तक विकसित होने के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है।"

हेक (Heck) ने असाधारण बालको की (Exceptional child) संज्ञा उन सभी बच्चों से दी है जो शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक दृष्टि से बाधित (Handicapped) है साथ–ही–साथ यह संज्ञा उन बच्चों के लिए भी प्रयुक्त मापदण्ड है जो मानसिक मापन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिभाशाली होते हैं।

विशिष्ट बालकों की सामाजिक तथा भावात्मक समस्याएं–

विशिष्ट बालकों की सामाजिक तथा भावात्मक समस्याएं कई प्रकार से भिन्न होती है क्यों कि इनका सम्पूर्ण वातावरण भी अलग होता है। कुछ समस्याएँ हैं–

1. समाज का इन वर्गों के प्रति उनका दृष्टिकोण होना।
2. इनका स्वयं का अपने प्रति हीन भावना रखना।
3. समाज में इन वर्गों के प्रति तिरस्कार की भावना का होना।
4. इनके प्रति तरस खाने की भावना रखना तथा दया के तौर पर इनकी सहायता करना।
5. मानव अधिकारों के प्रति विभिन्न आन्दोलनों ने इन वर्गो में अपने अधिकारों के प्रति सजगता की भावना को बढ़ावा देना तथा 'आशाओं का विस्फोट' (Explosion of Expectations) करना।
6. क्षतिग्रस्त तथा वंचित वर्गो को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।

विशिष्ट बालकों की शिक्षा के सिद्धान्त–

1. **आत्मविश्वास की भावना–**

विशिष्ट बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि उनके जीवन में एक नया अर्थ, एक नया अनुभव और एक नया विश्वास विकसित हो। उन्हें यह अनुभव होने लगे कि वे समाज के लिए आवश्यक है और समाज में उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

2. व्यक्तिगत अध्ययन–

विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत अध्ययन के (Child Study) के आधार पर होनी चाहिए। अर्थात् प्रत्येक बालक की असाधारणता को भली भांति समझने के पश्चात् ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

3. शिक्षा में समान अवसर–

विशिष्ट बालकों की शिक्षा का यह सिद्धान्त इस ओर संकेत करता है कि इन बालकों को केवल कुछ कौशल सिखा देना मात्र पर्याप्त नहीं होगा। व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ इनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की ओर भी ध्यान देना होगा।

4. नागरिकता का विकास–

क्षतिग्रस्त बालको में अच्छी नागरिकता का विकास करना इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा।

5. संतुलित दृष्टिकोण–

उन्हें ऐसी शिक्षा देनी होगी कि इनका जीवन सरल बन सके। जीवन को सरल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उनमें ऐसी योग्यता विकसित की जाए कि वे अपने दृष्टिकोण के साथ–साथ दूसरे के दृष्टिकोणों को भी समझ सकें।

6. जीवनयापन में सहायक शिक्षा–

विकलांग तथा अपंग बालकों की शिक्षा के लिए ऐसा प्रशिक्षण आवश्यक होगा जो उनकी अपंगता को दूर कर सके तथा जीवन यापन में उनकी सहायता कर सके।

7. शैक्षिक तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी–

भारत सरकार, राज्य सरकारें तथा स्वयं सेवी संस्थाओं ने विशिष्ट बालकों के लिए अनेक प्रकार की विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया हुआ है अतः इन वर्गों के बच्चों को इन सुविधाओं से अवगत कराया जाय।

8. उपचारात्मक शिक्षा–

जो बालक शारीरिक अपंगता अथवा सामाजिक असामान्यता एवं मानसिक असामान्यता से पीड़ित है उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। ये बालक अपनी कमियों को दूर कर सकें तथा अपने पैरों पर खड़े हो सके और समाज में समानयुक्त जीवन व्यतीत कर सकें।

9. निवारक शिक्षा–

इसका उद्देश्य यह होगा कि समाज में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाए कि बालकों में मनोविकार, अपंगता एवं सामाजिक असमायोजन को रोका जा सके।

विशिष्ट बालकों की शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1980)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980 के भाग IV अवसरों की समानताओं के अन्तर्गत पैरा 49 मे निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे पूरे समाज के कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सके। उनकी उन्नति भी समान्य लोगों की भाँति हो। वे भी पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जीवन जिएँ।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए जाए–

- ❖ विकलांगता यदि चलने–फिरने की या मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो।
- ❖ गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले विशेष स्कूलों की जरूरत होगी। इस प्रकार के स्कूल जहाँ तक सम्भव होगा, जिला मुख्यालयों में बनाए जाए।
- ❖ सभी स्कूलों के विकलांग बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- ❖ शिक्षकों, विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को भी नया रूप देना आवश्यक है ताकि वे कम उम्र के विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझ सकें।
- ❖ विकलांगों की. शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाए।

विकलांगों की संख्या–

राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organization) के सर्वेक्षण (2002) के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की संख्या 1.85 करोड़ थी। जो देश की कुल संख्या का 1.8 प्रतिशत था। विभिन्न वर्गों के विकलांगों की संख्या–

1. लोकोमोटर (Locomotor) – 106.34 लाख
2. श्रवण विकलांगता (Hearing Handicapped) – 30.62 लाख
3. मूक (Speech) – 21.55 लख
4. दृष्टिहीन (Blindnes) – 20.33 लाख
5. आंशिक दृष्टिदोष (Low vision) – 8.13 लाख
6. मानसिक अल्पविकास (Mental Retardation) – 9.05 लाख

अध्यापकों का उत्तरदायित्व–

अध्यापक अपने व्यवहार को संतुलित बनाए रखे।

- ❖ प्रत्येक विशिष्ट छात्र में रूचि लेना।
- ❖ अध्यापक प्रत्येक छात्र को सामाजिक स्तर पर एक समान समझे।
- ❖ अध्यापक अपने व्यवहार से यह किसी प्रकार से प्रर्दशित है न होने दे कि वह कोई कार्य तरस खाकर करता है। अर्थात् क्षतिग्रस्त वर्गों से समानता का व्यवहार करें।
- ❖ छात्रों के आत्मसम्मान का आदर करें।
- ❖ अनुचित शब्दावली का प्रयोग न करें 'तुम पढ़ने योग्य नहीं हो', तुम पिछड़ी जातियों के हो' आदि।

- ❖ छात्रों के परस्पर व्यवहार सौहार्दपूर्ण बनाने के प्रयास करें।
- ❖ कक्षा के प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दें।
- ❖ कक्षा के सामान्य छात्रों को प्रेरित किया जाए कि वे पिछड़े तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों की यथा सम्भव सहायता करें।
- ❖ पाठान्तर क्रियाओं में भाग लेने के समान अवसर देने की व्यवस्था करें।
- ❖ छात्रों के अभिभावकों से समय–समय पर छात्रों के विकास के सम्बन्ध में विचार विमर्श करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, जे0सी0	भारत में विशिष्ट बालकों की शिक्षा
कुप्पस्वामी, बी0	एडवांस्ड एजूकेशनल साइकोलॉली
सिंह, डी0 पी0	विशिष्ट बालक,उनकी समस्याएं और पुर्नवास
नेशनल काउंसिल ऑफ	समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रकाशन
एजूकेशनल रिसर्च ऑफ	ट्रेनिंगद **(NCERT)**
भारतीय पुर्नवास परिषद	विशेष शिक्षा के नियम और दिशा–निर्देश **(RCI)** अधिनियम
डॉ0 श्यामा मुखर्जी	विशिष्ट बालक, अर्थ और विशेषताएं, विश्वविद्यालय रांची
Rehabilitation Journals	विशिष्ट शिक्षा अधिनियम
Research gate	विशिष्ट बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों में डिजिटल शिक्षा की भूमिका